राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
बिहार लोक भवन, पटना–800022

संख्या–121/2026

प्रेस–विज्ञप्ति

कुलाधिपति ने छात्र–केंद्रित उच्च शिक्षा सुधारों को स्वीकृति प्रदान की

- एकरूप पीएच०डी० विनियम, एक–वर्षीय एवं द्वि–वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की नई शैक्षणिक रूपरेखा, चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में संशोधन तथा ''क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड्स'' पाठ्यक्रम को स्वीकृति।
- नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को लचीले अध्ययन विकल्प, बहु–निकास (Multiple Exit) सुविधा, शोध के बेहतर अवसर, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा कौशल–आधारित शिक्षा का मिलेगा लाभ।

पटना 07 जुलाई, 2026 :– माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप बिहार में उच्च शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, लचीला एवं छात्र–केंद्रित बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें एकरूप पीएच.डी. विनियम, 2026, एक–वर्षीय एवं द्वि–वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की नई शैक्षणिक रूपरेखा, चार–वर्षीय सीबीसीएस स्नातक कार्यक्रम में संशोधन, तथा ''क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड्स'' को दो–क्रेडिट क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाना प्रमुख है।

इन सुधारों के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. स्तर पर विद्यार्थियों को अधिक लचीले अध्ययन विकल्प उपलब्ध होंगे। चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक प्रमाणपत्र, द्वितीय वर्ष पूरा करने पर स्नातक डिप्लोमा, तृतीय वर्ष पूरा करने पर स्नातक उपाधि तथा चार वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ऑनर्स की उपाधि प्रदान की जाएगी। छठे सेमेस्टर तक 7.5 अथवा उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चौथे वर्ष में ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प चुन सकेंगे, जिससे उन्हें शोध एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

नई स्नातकोत्तर व्यवस्था के अंतर्गत चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक–वर्षीय तथा तीन–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वालों के लिए द्वि–वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। द्वि–वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपरांत स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त कर कार्यक्रम से बाहर निकल सकेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सहित शोध तथा केवल शोध जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। नई व्यवस्था में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अनुमोदित मैसिव ओपेन ऑनलाईन कोर्स के माध्यम से 40 प्रतिशत तक क्रेडिट अंतरण, भारतीय ज्ञान परंपरा, बहुविषयक एवं कौशल–आधारित शिक्षा तथा सतत् मूल्यांकन व्यवस्था को भी शामिल किया गया है।

आगे पृष्ठ 2 पर.....

एकरूप पीएच०डी० विनियम, 2026 के अंतर्गत पीएच०डी० में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं योग्यता–आधारित बनाया गया है। प्रवेश यूजीसी–नेट या यूजीसी–सीएसआईआर नेट अथवा गेट के आधार पर होगा, जिसमें 80 प्रतिशत वेटेज प्रवेश परीक्षा के अंकों तथा 20 प्रतिशत वेटेज साक्षात्कार को दिया जाएगा। चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पात्र विद्यार्थियों को भी पीएच०डी० में प्रवेश का अवसर मिलेगा। पूर्णकालिक एवं अंशकालिक, दोनों प्रकार के पीएच०डी० कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। शोध पद्धति, शोध एवं प्रकाशन नैतिकता तथा शिक्षण अथवा शिक्षाशास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं। शोध–निर्देशकों के पारदर्शी आवंटन, साहित्यिक चोरी (Plagiarism) पर कड़े प्रावधान, शोध प्रगति की नियमित समीक्षा तथा यथासंभव छह माह के भीतर शोधप्रबंध मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है। महिला शोधार्थियों एवं दिव्यांगजन के लिए विशेष रियायतें भी प्रदान की गई हैं।

विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता, रचनात्मक सोच तथा संज्ञानात्मक कौशल के विकास के उद्देश्य से ''क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड्स'' को सभी विषयों के स्नातक विद्यार्थियों के लिए चौथे सेमेस्टर तक दो–क्रेडिट क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अभिनव पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता, सृजनात्मकता, शब्द–भंडार, संप्रेषण कौशल एवं समस्या–समाधान क्षमता का विकास करेगा।

इन व्यापक सुधारों से बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक लचीली, बहुविषयक, शोधोन्मुख, कौशल–आधारित तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनेगी। साथ ही, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार एवं रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।

.....